

**कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश, ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर**

क्र. प्रशा./गो.क./ले.प./वि.जॉ./F-232/का.आ.363/सस्तीआरन

दिनांक- 26.10.2016

कार्यालय आदेश

कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर, कार्यालय महालेखाकार(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर तथा कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर के कार्यालयों के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं मुख्यालय के निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय में दिनांक: 31.10.2016 से 05.11.2016 तक सतर्कता एवं जागरूकता सप्ताह निर्मांकित कार्यक्रम के अनुसार संयुक्त रूप से मनाया जायेगा -

1.	दिनांक: 31.10.2016 (सोमवार) समय: पूर्वाह्न 11.00 बजे स्थान: कार्यालय के मुख्य द्वार के समीप	प्रतिज्ञा वाचन स.ले.प.अ./कार्यपालन शाखा उक्त दिनांक को मुख्य द्वार के समीप माइक एवं डाईस की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।	महालेखाकार महोदय द्वारा वाचन जिसे सभी अधिकारी /कर्मचारी दोहराएंगे।
2.	दिनांक: 01.11.2016 (मंगलवार)	पोस्टर प्रदर्शन श्री रवि कुमार, ले.प. (04/11275), केयर टेकर के साथ सहयोग कर कार्यालय परिसर में पोस्टर लगवाने का कार्य सम्पन्न करेंगे।	कार्यालय परिसर में।
3.	दिनांक: 02.11.2016 (बुधवार) समय: अपराह्न 3 बजे (अवधि 45 मिनट) स्थान: सभाकक्ष (पंचम तल)	निबंध प्रतियोगिता विषय:- "ईमानदारी को प्रोत्साहन देने तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन में जन सहभागिता " स.ले.प.अ./कार्यपालन शाखा उक्त दिनांक को उक्त स्थल पर निबंध प्रतियोगिता हेतु टेबिल- कुर्सी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।	निर्णायक मण्डल:- (1) श्री विजय सुगन्धी, व.ले.प.अ. (01/6027) (2) श्री विनोद कुमार दीक्षित, व.ले.प.अ. (01/6202)
4.	दिनांक: 03.11.2016 (गुरुवार) समय: अपराह्न 3 बजे स्थान: सभाकक्ष (पंचम तल)	परिचर्चा विषय: "समाज पर भ्रष्टाचार का प्रभाव " स.ले.प.अ./कार्यपालन शाखा उक्त दिनांक को उक्त स्थल पर परिचर्चा हेतु माइक एवं डाईस, टेबिल-कुर्सी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।	सभापति/निर्णायक:- उप महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र-II
5.	दिनांक: 04.11.2016(शुक्रवार) समय: अपराह्न 4 बजे	(पुरस्कार वितरण) श्री रवि कुमार, ले.प. कार्य सम्पन्न करवाएंगे।	सभा कक्ष (प्रथम तल पर)

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर, कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर, तथा कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा(केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर के कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सतर्कता-जागरूकता सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों में सहभागी बनकर इसे सफल बनाने में सहयोग करें।

प्राधिकार:- महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के आदेश दिनांक:- 25.10.2016

-हस्ता-

वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

क्र. प्रशा./गो.क./ले.प./वि.जॉ./F-232 SRI/268

दिनांक- 26/10/16

प्रतिलिपि:-

1. समस्त समूह अधिकारी/कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र., ग्वालियर, एवं कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा(केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली शाखा ग्वालियर ।
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/गोपनीय कक्ष, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा(केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर, कृपया आपके कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए अनुदेशित करें ।
3. लेखापरीक्षा अधिकारी/फ़ास, कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर, कृपया आपके कार्यालय में ग्वालियर में पदस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अनुदेशित करें ।
4. सचिव/महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र., ग्वालियर ।
5. निजी सचिव/ वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र., ग्वालियर ।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी (मुख्यालय अनुभागों के), कृपया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए अनुदेशित करें ।
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.एस विंग । कृपया केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार(प्रतिलिपि संलग्न) कार्यालय की वेबसाइट पर संलग्न सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञाओं के हाइपरलिंक उपलब्ध करायें ।
8. श्री विजय सुगन्धी, व.ले.प.अ(01/6027) कृपया दिनांक 02.11.2016 को आयोजित निबंध प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाए ।
9. श्री विनोद कुमार दीक्षित, व.ले.प.अ. (01/6202) कृपया दिनांक 02.11.2016 को आयोजित निबंध प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाए ।
10. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यपालन शाखा ।
11. केयरटेकर, कृपया संलग्न बैनर दिनांक 31.10.2016 को प्रातः कार्यालय के मुख्य द्वार पर लगवाने की व्यवस्था करें तथा दिनांक 01.11.2016 को कार्यालय परिसर में पोस्टर लगवाने की व्यवस्था करें।
12. सूचना पटल- ऑडिट भवन, डॉर्री रोड, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) ।
13. गार्ड फाईल ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
गोपनीय कक्ष

13-2-16

**Office of the Comptroller and Auditor General of India
New Delhi**

No. PD(P)/Vig./Misc.-16/VAW/2016

Date: 14.10.2016

To,

All the Heads of IA&AD

Sub: Observance of Vigilance Awareness Week- 2016

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith Central Vigilance Commission's Circular Nos. 10/09/16(I) and 10/09/16(II) issued under Nos. 016/VGL/030/325625 dated 19.09.2016 and 016/VGL/030/326211 dated 23.09.2016 respectively which are also available on the CVC's website www.cvc.nic.in.

2. The Central Vigilance Commission has decided that this year the **Vigilance Awareness Week** would be observed from **31st October, 2016 to 05th November, 2016**. The Vigilance Awareness Week would commence with the **pledge** (copy enclosed) by public servants on **31st October at 11.00 a.m.** The theme of this year's Vigilance Awareness Week is "**Public participation in promoting Integrity and eradicating Corruption**".

3. During the Vigilance Awareness Week, the Commission has advised the organizations to consider following activities:

A. Activities to be conducted within the organization:

- A1. Distribute pamphlets, handouts on preventive vigilance activities/ Whistle blower mechanism and other anti-corruption measures.
- A2. Workshops/sensitization programmes for employees and other stake holders on policies/procedures of the organization and preventive vigilance measures.
- A3. Bring out special issue of journals/newsletters on vigilance issues/ systemic improvements and good practices adopted for wider dissemination and awareness.
- A4. Conduct various competitions such as debates, quiz etc. for the employees and their families on issues relating to anti-corruption;
- A5. Use organizational website for dissemination of employees/ customer oriented information and avenues available for grievance redressal.

B. Outreach activities for public/citizens:

- B1. Display of hoardings, banners, posters and distribution of handouts etc at prominent locations/places in offices/field units and also at places with public interface (e.g. Branches of Banks, Petrol Pumps, Railway Stations, Airports etc.).
- B2. Organize customer grievance redressal camps for citizens/customers/vendors/contractors, etc by organisations having customer oriented services/activities. It is expected that such camps are held by the organisations not only at headquarters but also at all appropriate field offices across the country.
- B3. Organize debates/elocutions/essay writing /cartoon/ poster competitions on moral values, ethics, good governance practices etc. amongst the youth /students of schools/colleges including professional colleges/institutions and to distribute prizes. Alternatively, panel discussions or lectures may also be organized with the students.
- B4. As in previous year, for creation of awareness on the ill-effects of corruption in college and School students, the Commission desires that special efforts may be made by each field unit/branch of every CPSE/PSB/Organisations to organize activities in at least 2 schools and 3 colleges in every city/town. An action plan with details of cities to be covered will be communicated to the CVOs separately.
- B5. Organise "awareness gram sabhas" for dissemination of awareness in Gram Panchayats (in rural and semi-urban areas) to sensitise citizens on ill-effects of corruption. This activity would largely be taken up by the Public Sector Banks which will ask each of their branches to conduct such awareness gram sabhas in at least two Gram Panchayats. Similar sabhas /meetings could be organized at the district level also by the lead bank of the district. Detailed action plan for this activity will be communicated separately to the CVOs of the PSBs.
- B6. Ensure participation of non-government organisations, corporates in private sector, other institutions, service organisations and public in the local area to participate in the vigilance awareness campaigns particularly by conducting seminars/workshops/skits/street/walk/marathon etc. Vigilance Study Circles may also ensure organizing such activities.

